न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास (वैदिक एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान शोध संस्थान) हिस्सा पूर्ण पता वेद विज्ञान मंदिर भागल भील भीनमाल जिला जालोर संस्था जरिये अध्यक्ष आचार्य अग्निव्रत	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:निर्णय:– राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या– 77 / 2025

दिनांक 04.11.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी का इस आशय का पेश किया कि शोध संस्थान के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का पालडी एम. भू.अभि.नि.क्षेत्र पालडी, तहसील शिवगंज की वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में खाता संख्या 925, खसरा नम्बर 1325 / 1315, 1327 / 1315 कुल रकबा 3.0779 हैक्टेयर यानि 19 बीघा एवं खाता संख्या 146, खसरा नम्बर 287, रकबा 2.0720 हैक्टेयर यानि 12 बीघा 16 बीस्वा कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को मुझ प्रार्थी की शोध संस्थान ने कैलाश कुमार कुमावत, सुनिल वर्मा, प्रतिक ठाकरान, पुरुषोत्तम कुमार, गोविन्द कुमार, गुडिया देवी, पुष्पा देवी, हीना व उज्जवल व अन्य से खरीद की थी. जिसका नामान्तरण संख्या 4068 के द्वारा उपहार की गई जमीन का म्यूटेशन संवत 2076 से 2079 में भरा गया एवं नामान्तरण संख्यां 3786 के द्वारा बेचान की गई जमीन का म्यूटेशन में भरा गया जिसकी नकल संलग्न पेश है। अपरोक्त खाता संख्या 925, खसरा नम्बर 1325 / 1315, 1327 / 1315, रकबा 3.0779 हैक्टयर यानि 19 बीघा एंव खाता संख्या 146. खसरा नम्बर 287 (रकबा 2.0720 हैक्टेयर यानि 12 बीघा 16 बीस्वा कृषि भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी के शोध संस्थान की कृषि भूमि तक जाने हेतू ट्रेस नक्शा में दर्ज A से B तक मार्ग कदीमी से चला आ रहा है। जिस पर ट्रेस नक्शा में दर्ज A से C तक में खसरा नम्बर अंकित है, लेकिन ट्रेस नक्शा में C से B तक में खसरा नम्बर अंकित नहीं है, जिससे पूर्ण रास्ते की रास्ते के रूप में तरमीम नहीं हो पा रही है। उक्त पूर्ण रास्ते को खसरा नम्बर प्रदान कर तरमीम किया जाने का श्रम करावें।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम पालडी (एम) के खसरा नम्बर 1325 / 1315, 1327 / 1315 रकबा क्रमश 0.5524, 2.5256 हैक्टयर किस्म ब–2 खाता संख्यां 925 व खाता संख्या 146 खसरा नम्बर 287 रकबा 2.0720 हैक्यार किस्म ब–2 (1.4802) हैक्टयर ब–3 (0.5828 हैक्टयर) श्री वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास (वैदिक एवं आधुनिक भौतिक विज्ञान शोध संस्थान) हिस्सा पूर्ण पता वेद विज्ञान मन्दिर भागल भीम भीनमाल जिला जालोर संस्था के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि सी से बी तक खसरा नम्बर अंकित नहीं है जिसकी जाँच राजस्व नक्शें एवं रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट है कि लटठा नक्शा में खसरा नं0 239 / 1 की किस्म रास्ता दर्ज है तथा खसरा नं0 239 / 2 किस्म नाला दर्ज है जबकि ऑनलाईन नक्शें में रास्ता को कोई खसरा नम्बर नहीं दिया गया है तथा नाले को त्रुटिवश दो खसरों (239 / 1 व 239 / 2) में विभक्त कर दिया गया है। अतः सलग्नः प्रस्तावित ऑनलाईन नक्शा में लटटा नवशा में भिन्नता होने के कारण वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा नम्बर दर्ज नहीं है उनको प्रस्तावित नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 239 / 1 रकवा 0.4856 हैक्टयर किस्म रास्ता व प्रस्तावित नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 239 / 2 रकवा 1.6997 हैक्टयर किस्म नाला को आसमानी रंग से दर्शाया गया है। अतः तहसीलदार शिवगंज ने प्रस्तावित ऑनलाईन नक्शा अनुसार शुद्धि किया जाना उचित बताया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 29.10.2025 को प्रार्थनापत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

लगातार पेज–2

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्र0सं0–77 / 2025
अध्यक्ष आचार्य अग्निव्रत बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये जवाब पर की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा पालडीएम पटवार हल्का पालडीएम तहसील शिवगंज के तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत** प्रस्तावित नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 239/1 रकबा 0.4856 हैक्टयर किस्म रास्ता हरा रंग व खसरा नम्बर 239/2 रकबा 1.6997 हैक्टयर किस्म नाला को आसमानी रंग से **नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह निर्णय/आदेश आज दिनांक 04.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, **R.A.S**)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/612
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 04.11.2025

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)